OFFICE OF THE MINISTER OF EDUCATION & TRANSPORT
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI SECRETARIAT, I.P.ESTATE, NEW DELHI

No.F. 19(105)/TPT/Sectt/04/144

Dated: 29/8/11

To,

The Secretary,
Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat,
Delhi.

Sir,

I intend to lay on the Table of the House a copy off the following papers:-

1. Notification no. NWZ/I/88/Tpt/2007/74 dated 30-06-2011 which is regarding authorization of institutions for issuance of certificate of possession of adequate knowledge and understanding of the matters referred to in sub-rule (1) of rule 11 of Central Motor Vehicle Rules, 1989 and term & condition thereoff.

2. Notification no. 23(127)/2007/Tpt./OPS/46 dated 09-05-2011 which is regarding amendment of rule 81 of Delhi Motor Vehicle Rule pertaining to tourist transport operations.

3. Notification no. 19(95)/Tpt./Sectt./2010/04 dated 20-04-2011 which is regarding providing free passage to the emergency vehicle.

250 copies each of notifications are sent herewith.

Yours faithfully,

(ARVINDER SINGH)
MINISTER TRANSPORT

ARVINDER SINGH
Minister of Transport Education
Gurudwara Election and
Gurudwara Administration
Govt. of NCT of Delhi

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2011

F. No. NWZ/I/88/Tpt/2007/74.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 28 and clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with notification No. G.S.R. 221(E) dated 28th March, 2001 issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, and the provisions of clause (d) of sub-rule (2) of rule 11 of Central Motor Vehicle Rules, 1989, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that Institutions will be authorized by the Government of National Capital Territory of Delhi, for the purpose of issuance of certificate of possession of adequate knowledge and understanding of the matters referred to in sub-rule (1) of rule 11 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

The said authorisation shall remain valid subject to the fulfilling of following conditions:

(i) Any institution registered as Educational Society/NGO with the appropriate legal authority can apply.

(ii) The institution should have experience of five years in running a motor driving training school.

(iii) The institution should have experience of five years in road safety refresher training course.

(iv) Must be a clean record holder since inception. There must not be any case of violation of provisions of Motor Vehicle Act 1988, and Rules against the institute.

(v) Annual financial turnover of the institution should be Rs.25 lakh for last three consecutive years or 50 lakh for the last financial year.

(vi) The institution should have the facility to conduct skill tests with the help of computer /software system having suffcient question bank relating to syllabus of preliminary skill test approved by Transport Department. The learner's license evaluation software of the institution should be cross-checked by MLO/Inspector of the Transport Department for correctness and fidelity.

(vii) The computer system should further have security features like scan of photo, biometrics and finger print of the applicant and facility to maintain the record of each test paper along with the starting and end time of test.

(viii) The institution should submit the details of signatory authorized by them to issue certificate as prescribed. The authorized signatory should be a person having degree in automobile/mechanical engineering.

(ix) The institution will be subject to inspection by the designated Inspectors of concerned Zone of the Transport Department, or any other official duly authorized by Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

(x) The institution should have proper arrangement for CCTV Cameras installed in the test room with facility to maintain the recording for at least seven days and access provided to the Transport Department including the MLO office with static IP address through internet.

(xi) At least 5000 certificates issued by the institution should have been evaluated and cross-checked by MLO/ Inspector of the Transport Department.

(xii) Application for authorization will be made in the proforma prescribed by the Transport Department, National Capital Territory of Delhi.

(xiii) The institution will submit daily online report of each Learning License test to the Transport Department, National Capital Territory of Delhi. All MLOs will be provided with password to verify the genuineness of the certificate issued by the institute.

(xiv) Test venues will be inspected by the concerned Zonal MLO. Only one such venue will be authorized for each zone.

(xv) Transport Department may appoint independent auditor to check the integrity of test conducted by the institution and on the basis of report if any discrepancy observed, recognition may be revoked at any time.

(xvi) Authorization will be subject to Motor Vehicle Act and Rule framed thereunder and DMVR, 1993 as amended time-to-time.

This notification supersedes the earlier notification No. F. 19(31)/Tpt/Sectt./09/488 dated 17th July, 2009.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territoy of Delhi,
R.K. VERMA, Pr. Secy-cum-Commissioner

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2011

फा. सं. एनडब्ल्यूजैड/1/88/परि./2007/74.— केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (घ) के प्रावधानों तथा सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सा.का.नि. 221(अ) के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (क) तथा धारा 2 के खंड (41) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि संस्था केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 के उप-नियम (1) में उल्लिखित मामलों की पर्याप्त जानकारी एवं ज्ञान रखने का प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्राधिकृत होगी।

उक्त प्राधिकार निम्न शर्तें पूरी करने पर ही वैध होगा :—

(i) वह कोई भी संस्था, जो समुचित विधिक प्राधिकरण के साथ शैक्षणिक सोसायटी/गैर-सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हो आवेदन कर सकती है।

(ii) संस्था के पास मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल चलाने का पाँच वर्ष का अनुभव हो।

(iii) संस्था के सड़क सुरक्षा पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पाँच वर्ष का अनुभव हो।

(iv) प्रारम्भ से ही स्वच्छ रिकार्डधारी हो। उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों एवं संस्था विरुद्ध नियम के प्रावधानों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न किया हो ।

(v) पिछले तीन वर्षों से संस्था में वार्षिक वित्तीय लेन-देन 25 लाख रुपये हो या अंतिम वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये हो।

(vi) संस्था के पास परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित प्राथमिक कौशल परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर पद्धति की सहायता से कौशल परीक्षा के आयोजन की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित प्राथमिक कौशल परीक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रश्न बैंक हो। संस्था का प्रशिक्षु लाइसेंस मूल्यांकन सॉफ्टवेयर सत्यता/विश्वसनीयता के लिए परिवहन विभाग के एमएलओ/निरीक्षक द्वारा प्रति परीक्षण होना चाहिए।

(vii) कम्प्यूटर सिस्टम में सुरक्षा विशेषताएं जैसे आवेदन के फोटो स्केल, बायोमैट्रिक एवं उंगलियों के निशान होने चाहिए तथा परीक्षा के प्रारम्भ और समाप्त होने के समय सहित प्रत्येक परीक्षा पेपर के रिकार्ड के रख-रखाव की सुविधा हो।

(viii) संस्था को यथानिर्धारित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा। हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी आटो मोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी व्यक्ति हो।

(ix) परिवहन विभाग के संबंधित पदनामिक, जोन निरीक्षक द्वारा संस्था का निरीक्षण होगा अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा विधिवत प्राधिकृत अन्य अधिकारी।

(x) संस्था के पास कम से कम सात दिनों की रिकार्डिंग के रखरखाव की सुविधा सहित परीक्षा कक्ष में सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाने के लिए उचित प्रबंध होगा और परिवहन विभाग जिसमें एमएलओ कार्यालय भी शामिल है में स्टेटिक आई पी पत्र/इंटरनेट का साथ उपलब्ध कराना होगा।

(xi) कम से कम 5000 प्रमाण-पत्र जो कि संस्था द्वारा जारी किए गए हैं, परिवहन विभाग के एमएलओ/निरीक्षक द्वारा मूल्यांकन व प्रति प्रशिक्षण किए जाएंगे।

(xii) प्राधिकरण का आवेदन परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रफोर्मा में लिया जाएगा।

(xiii) संस्था प्रत्येक दिन संक्षेप प्रशिक्षु लाइसेंस रिपोर्ट परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत करेगी। सभी एमएलओ को पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता प्रमाणित कर सकें।

(xiv) टेस्ट का स्थान संबंधित क्षेत्रीय एमएलओ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक जोन में केवल एक जोन ही प्राधिकृत होगा।

(xv) परिवहन विभाग संस्था द्वारा आयोजित टेस्ट की पूर्णता की जांच के लिए एक स्वतंत्र आडिट नियुक्त कर सकता है, और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर दोषी संस्था पाई गई तो उसकी प्रमाणिकता किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी।

(xvi) प्राधिकरण मोटर वाहन एक्ट एवं डीएमवीआर, 1993 के आधार पर बनाए व समय-समय पर संशोधित के अंतर्गत होगा।

यह अधिसूचना पहली अधिसूचना संख्या 19(31)/परि./सचि./09/488, दिनांक 17 जुलाई, 2009 के स्थान पर होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th May, 2011

F. No. 23(127)/2007/Tpt. /Ops/46.—In exercise of the powers conferred by clause (xxviii) of sub-section (2) of Section 96 read with clause (41) of Section 2 and Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi after prior publication of the amendments in the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 on 8th December, 2010 and after passing of thirty days since then for taking into consideration any objections and suggestions, is pleased to amend the rules as follows, namely :—

RULES

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 2.—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter referred to as "the principal rules") in clause (t) of sub-rule (1) of rule 2, for the words "tourist guide" , the words "tourist transport operator" shall be substituted.

3. Amendment of rule 81. —In the principal rules, in rule 81,—

(a) in sub-rule (1), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) The licence issued in Form LTO shall be valid for a period of 5 years in the first instance and shall be renewable every five years thereafter."

(b) in sub-rule (2), for the words "two thousand rupees" occurring at the end, the words "five thousand rupees", shall be substituted;

(c) sub-rule (12) shall be deleted.

(d) for clause (d) of sub-rule 14, the following clause shall be substituted, namely :

"(d) The licensee shall possess and maintain fully furnished office with adequate staff to attend to the needs of the customers and to look after their luggage and shall maintain records containing complete particulars regarding names and addresses of the tourists, and the fare collected from each of a group of travellers, the particulars of journeys and the particulars of contract carriage for the journey and shall furnish to the licensing authority who issued the licence, a monthly return based on the information available with them."

(e) for clause (h) of sub-rule (14), the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) The licensee shall undertake to maintain an officer under the charge of a full time member who should be in a position to give accurate and up to date information."

4. Substitution of form TTO . —In the principal rules, for the form TTO, the following form shall be substituted, namely :—

"FORM T.T.O.

[See rule 81 of Delhi Motor Vehicles Rules, 1993]

APPLICATION FOR A LICENCE AS TRAVEL AGENT/TOUR OPERATOR/EXCURSION AGENT/TOURIST TRANSPORT OPERATOR ETC.

To

The Licensing Authority (Tourism),
Tourism Department,
Government of N.C.T. of Delhi

Sir/Madam,

I hereby apply for the licence of a Tour Operator/Travel Agent/Excursion Agent/Tourist Transport Operator, as per rules 2(t) and 81 of the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, for which I hereby tender registration fee of Rs. 5,000 and Security Deposit of Rs. 10000, as prescribed under the same.

The particulars required for the purpose are given hereunder :—

1. Name of the person/firm with address(es).....
2. Year the firm started working .....
3. Whether the firm is proprietor/partnership/Private or public limited company (please attach copy of document in support)
4. Month and date when the firm was registered (with documentary proof)
5. Financial Status (please attach latest Balance Sheet and Profit & Loss A/c) .....
6. Name(s) of the Director(s)/Partner(s) etc. .....
7. Details of interests, if any, in any other business of the Director(s)/ Partner (s), etc .....
8. Name of the bankers.....
9. (i) Pan Card No ..... (ii) Service Tax No.....
10. Activities undertaken by the firm besides tourism .....
11. Any other Branch(s) of the firm in the country with complete address(s)
12. Particulars of foreign firms with complete address and details (applicable in case of joint venture with foreign companies).....
13. In case of any tie-up with airlines/carriers, Registration No. and date (with true copy attached).....
14. Parking space available/proposed to be used (applicable only for excursion agents/tourist transport operators etc.).....

1660 DG/11-2

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are true and correct and I undertake to abide fully by the terms and conditions of the licence.

Yours faithfully,
(SIGNATURE OF THE APPLICANT/
DIRECTOR/PARTNER, ETC. WITH SEAL)"

Date.....
Place .....

5. Insertion of form LTO . In the principal rules, after form TTO, and before form PSU (A), the following form L TO shall be inserted, namely :—

"FORM L.T.O.

[See rule 81 of Delhi Motor Vehicles Rules, 1993]

TOURISM DEPARTMENT, GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

LICENCE

(NON-TRANSFERABLE)

In pursuance of the provision of rule 81 of Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, as amended up to date, this licence is granted to Sh./Smt./ Kumari/.....of M/s .....as.....Tour Operator/Travel Agent/Tourist Transport Operator/ Excursion Agent. This licence is valid from..... to.....(unless suspended or revoked earlier) and subject to the conditions laid down by Government of NCT of Delhi from time to time.

Licence No.----------

Date of Issue----------

LICENSING AUTHORITY
Tourism Department, Government of NCT of Delhi
Official Seal"

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Pr. Secy.-cum -Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2011

फा. सं. 23 (127)/2007/परिवहन/ओप./46.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 96 की उप-धारा (2) के खंड (xxviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 8 दिसम्बर, 2010 को दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में संशोधन के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा किन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार के लिए 30 दिनों के व्यतीत होने के पश्चात् नियमों में निम्न रूप से संशोधन करते हैं :—

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाए ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. नियम 2 का संशोधन —दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 (इसके पश्चात् ''मूल नियमावली'' के रूप में संदर्भित) के नियम 2 के उप-नियम (1) के—

3. नियम 81 में संशोधन —मूल नियमावली के नियम 81 में :—

(क) उप-नियम (1) में खंड (ii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

''(ii) फार्म एल टी ओ में जारी लाइसेंस प्रथम बार 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् नवीकरण किया जायेगा ।''

(ख) उप-नियम (2) में शब्द ''दो हजार रुपये'' जो अंत में आते हैं के लिए शब्द ''पाँच हजार रुपये'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ग) उप-नियम (12) को हटाया जायेगा ।

(घ) उप-नियम 14 के खंड (घ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

''(घ) लाइसेंसधारी को ग्राहक की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिये पर्याप्त स्टाफ सहित पूर्णत: सुसज्जित कार्यालय होगा और उसका रख-रखाव करेगा और उनके माल की देखभाल करेगा और पर्यटकों के नाम तथा पतों सम्बन्धी पूर्ण विवरण तथा यात्रियों के प्रत्येक समूह से इकट्ठे किये गए भाड़े तथा यात्रा के लिये संविदा कैरिज के विवरण का अभिलेख बनाएगा और लाइसेंस जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकारी को उनके पास उपलब्ध सूचना पर आधारित एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।''

(ङ) उप-नियम (14) के खंड (एच) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

''(एच) लाइसेंसधारी घोषणा करेगा कि वह ऐसे पूर्णकालिक सदस्य की देखरेख में कार्यालय बनाएगा जो सटीक तथा अद्यतन सूचना देने की स्थिति में हो''

4. नया फार्म टीटीओ का सन्निवेशन.—मूल नियमावली में फार्म टीटीओ के लिए निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

''फार्म टीटीओ

(दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993, नियम 81 देखें)

ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर/भ्रमण एजेंट आदि के लाइसेंस के लिए आवेदन

सेवा में,

लाइसेंसिंग अधिकारी (पर्यटन),
पर्यटन विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

महोदया/महोदया,

मैं इसके द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2(टी) तथा 81 के अनुसार ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर/भ्रमण एजेंट आदि के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हूँ जिसके लिए मैं 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क तथा 10,000 रुपये इसमें निर्धारित प्रतिभूति जमा प्रदान कर रहा हूँ ।

इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित विवरण यहां आगे दिया गया है :—

1. व्यक्ति/फर्म का नाम तथा पता .....
2. फर्म के कार्यारम्भ का वर्ष .....
3. फर्म प्रोपराइटर/भागीदारी/निजी या सार्वजनिक लिमिटेड किस प्रकार की है (फार्म के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलगन करें) .....
4. फर्म के पंजीकरण का मास तथा तारीख (दस्तावेजी साक्ष्य लगाएं) .....
5. बैंक में वित्तीय स्थिति (तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा संलग्न करें) .....
6. निदेशक/भागीदारी आदि का नाम .....
7. निदेशक/भागीदारी का किसी अन्य व्यापार में हिस्से का विवरण .....
8. बैंकर का नाम (संदर्भ संलग्न करें) .....
9. लेखा परीक्षक का नाम (कंपनी विधि में यथानिर्धारित ट्रेवल व्यापार संबंधी लाभ व हानि का तुलन पत्र आवेदन के साथ जमा करें) .....
10. समुचित अधिकारी से आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा ट्रेवल व्यवस्था के अलावा अन्य क्रिया-कलाप .....
11. देश में फर्म की शाखाएं पूरे पते सहित .....
12. विदेशी फर्मों का विवरण, यदि कोई है, उनका पूरा पता तथा पर्यटकों के व्यवसाय संपर्कों का विवरण .....
13. यदि एयर लाइन/कैरियर से कोई समझौता है तो पंजीकरण संख्या तथा तिथि (सत्यापित प्रति संलग्न करें) .....
14. प्रयोग के लिए प्रस्तावित उपलब्ध पार्किंग स्थान (केवल भ्रमण एजेंटों/पर्यटन परिवहन आपरेटरों आदि पर लागू) .....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही है तथा मैं लाइसेंस की शर्तों का पूर्णतया पालन करूँगा ।

भवदीय,

(आवेदक/निदेशक/भागीदार आदि के हस्ताक्षर मुहर सहित)''

दिनांक :

स्थान :

5. फार्म एलटीओ का सन्निवेशन—मूल नियमावली में फार्म टीटीओ के बाद तथा फार्म पीएसयू (क) से पहले निम्नलिखित फार्म एलटीओ का सन्निवेश किया जाएगा, अर्थात् :—

''**फार्म एल टी ओ**

(दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का नियम 81 देखें)

पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

लाइसेंस

(अहस्तांतरणीय)

अद्यतन संशोधित दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 81 के प्रावधान के अनुसरण में श्री/श्रीमती/कुमारी ..... मैसर्स ..... से संबंधित है, को टूर आपरेटर/ट्रेवल एजेंट/टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर/भ्रमण एजेंट का लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस .....से ..... तक वैध है (जब तक पहले रद्द न किया जाए) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किया जाता है ।

लाइसेंस संख्या .....

जारी करने की तिथि .....

लाइसेंस प्राधिकारी

पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय मोहर''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th April, 2011

No. F. 19(95)/Tpt./Sectt./2010/04.—Whereas, it has been observed that emergency vehicles such as Fire Brigade vehicles, Ambulances, Police Patrol Vans and vehicles of Transport Department, Government of NCT of Delhi are not being provided free passage by other categories of motor vehicles while these emergency vehicles are being driven to prevent damage to the public or to attend to any emergency situation(s).

Whereas it is imperative for these emergency vehicles to reach their destination in time in the interest of public order, safety and security and to ensure free passage to these emergency vehicles.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary to ensure the uninterrupted movement of Emergency Vehicles such as Ambulances, Fire Engines, Police Patrol Vans and vehicles of Transport Department, Government of NCT of Delhi and in the interest of safety of the general public in Delhi/New Delhi areas, does hereby, order that the extreme right lane on roads having three or more lanes will be used by emergency vehicles like Fire Brigades, Ambulances, PCR Vans or vehicles of Transport Department, Government of NCT of Delhi while they are attending emergencies. These emergency vehicles when using the extreme right hand lanes in emergency indicated by a siren and flashing of lights will have the overriding right of way. All other categories of vehicles will vacate the extreme right lane by moving to the left of the road/street.

This notification shall be valid till March 31, 2012.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. VERMA, Pr. Secy.-cum-Commissioner

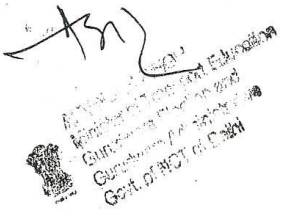

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली; 20 अप्रैल, 2011

सं. फा. 19(95)/परिवहन/सचि./2010/04.—जबकि ऐसा देखा गया है कि आपातकालीन वाहनों जैसे फ़ायर ब्रिगेड वाहन एम्बुलेंस, पुलिस पेट्रोल वैन तथा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वाहनों को ऐसे समय जब ये आपातकालीन वाहन किसी सार्वजनिक नुकसान को रोकने या किसी आपातकालीन स्थिति पर जाने के लिए चल रहे होते हैं तो अन्य प्रकार के मोटर वाहन इनको खुला रास्ता नहीं देते ।

और जबकि इन आपातकालीन वाहनों को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा तथा बचाव कार्य को देखते हुए इन वाहनों को अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचना आवश्यक होता है और इनको खुला रास्ता देना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसा आवश्यक समझते हैं कि एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस पेट्रोल वैनों तथा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आपातकालीन वाहनों का अबाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिये इसके द्वारा आदेश देते हैं कि जिन सड़कों पर तीन या अधिक लेन हैं उनकी एकदम दायीं लेन फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पीसीआर वैन, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों द्वारा आपातकालीन स्थिति पर जाने के समय प्रयोग की जाएगी । ये आपातकालीन वाहन जब सायरन या बत्ती जलाकर आपातकालीन समय में एकदम दायीं ओर की लेन का प्रयोग करेंगे तो उनको गुजरने का सर्वोपरि अधिकार होगा । सभी अन्य वर्ग के वाहन सड़क/गली में बायीं और आकर एकदम दायीं लेन का रास्ता खाली कर देंगे ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 2012 तक वैध होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त